संख्या-449/2023/2421/41-2022-144 (बजट)/2021

प्रेषक,

अश्विनी कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासना

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 13 जून, 2023**

विषय:-जनपद ललितपुर के विकास खण्ड-मडावरा तहसील ललितपुर स्थित मडावरा पाण्डव वन के पर्यटन विकास कार्य की परियोजना को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-772/6-1-1(1341)/2021-22 दिनांक 17.05.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उक्त योजना को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-661/2021/आई/116302/41-1002(001)/129/2021-144(बजट)/2021 दिनांक 24.11.2021 द्वारा जनपद ललितपुर के विकास खण्ड-मडावरा तहसीत ललितपुर स्थित मडावरा पाण्डव वन के पर्यटन विकास कार्य की स्वीकृत परियोजना को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। कृपया तदनुसार शासनादेश संख्या-661/2021/आई/116302/41-1002(001)/129/2021-144(बजट)/2021 दिनांक 24.11.2021 एवं शासनादेश संख्या-368/2022/2009/001-144 (बजट)/2021 दिनांक 20.06.2022 द्वारा अवमुक्त की गयी कुल रू0 30.00 लाख में से प्रायोजना पर व्यय की गयी धनराशि रू0 5.20 लाख को घटाते हुए अवशेष /अप्रयुक्त धनराशि रू0 24.80 लाख को ब्याज सहित राजकोष में जमा कराते हुए उक्त की सूचना एवं प्रायोजना पर व्यय की गयी धनराशि का विवरण शासन को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अश्विनी कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव ।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, ललितपुर ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
5- प्रबन्ध निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
9- सम्बन्धित अधिशासी अभियंता, सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम |
10- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, झाँसी मण्डल।
11- गार्ड-फाइल |

आज्ञा से,

(रामेश्वर सिंह)
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in